आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
19/6/24	**न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।** **एस०ए०आर०वाद सं०-29/2016-2017** **(1) ननकु तिर्की, (2) हीरा तिर्की,** **(3) मोहन तिर्की, (4) गोप तिर्की,** **(5) ननकु तिर्की, (6) प्राण तिर्की,** **(7) मुन्ना तिर्की, (8) गोविन्द तिर्की,** **(9) फ्रांसिस तिर्की, (10) रंधीर तिर्की,** **(11) राकेश तिर्की, (12) विकास तिर्की,** **(13) बिरेन्द्र तिर्की,..... आवेदकगण।** **बनाम** **(1) बोधा उराँव,.....(i) संतोष उराँव,** **(ii) सतिश उराँव,** **(2) मोहन उराँव,.....(i) रोशन उराँव,** **(ii) आशीष उराँव,** **(3) बिरसा उराँव,..... (i) सौरभ उराँव,** **(4) प्रमोद उराँव,** **(5) महादेव उराँव,** **(6) संजय उराँव, ... विपक्षीगण।** ***आदेश*** आवेदकगण (1) ननकु तिर्की, (2) हीरा तिर्की, (3) मोहन तिर्की, तीनों के पिता–स्व० मंगा तिर्की, (4) गोप तिर्की, (5) ननकु तिर्की, (6) प्राण तिर्की, (7) मुन्ना तिर्की, (8) गोविन्द तिर्की, पाँचों के पिता–स्व० धाना तिर्की, (9) फ्रांसिस तिर्की, (10) रंधीर तिर्की, (11) राकेश तिर्की, तीनों के पिता–स्व० कोडे तिर्की, (12) विकास तिर्की, (13) बिरेन्द्र तिर्की, दोनों के पिता–स्व० गोकुल तिर्की, सभी निवासी ग्राम–मधुकम, थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। 19/6/24 कृ०पृ०उल्टे	

आवेदकगण ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी जमीन विपक्षीगण (1) बोधा उराँव, (2) मोहन उराँव, दोनों के पिता–स्व० रतन उराँव, (3) बिरसा उराँव, (4) प्रमोद उराँव, (5) महादेव उराँव, (6) संजय उराँव, चारों के पिता–स्व० बुधवा उराँव, सभी निवासी ग्राम–मधुकम, थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा
मधुकम	204	41	65	71 डी०

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि मौजा–मधुकम, थाना संख्या–204, खाता संख्या–41, प्लॉट संख्या–65 में वर्णित भूमि रिविजनल सर्वे खतियानी जमीन बुटना उराँव, वल्द वनधु उराँव, वो दुखी उराँव, वल्द शनतोस उराँव, वो मंगा शरदार वल्द वोके उराँव, वो चंपा उराँव, वल्द डोडो उराँव कौम उराँव साकिन देह के नाम से दर्ज है। आवेदकगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदकगण को बेदखल कर दिया है।

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

आवेदकगण ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र के माध्यम से कहा है कि उपरोक्त भूमि की खतियानी रैयत के बुटना उराँव वो दुखी उराँव, मंगा सरदार वो चंपा उराँव, वगैरह के नाम से दर्ज है। मांगा तिर्की, अपने दो पुत्र भेटका तिर्की वो ननकु तिर्की को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। भेटका तिर्की अपने पीछे माँगा तिर्की वो धाना तिर्की को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। माँगा तिर्की अपने पीछे (1) ननकु तिर्की वो (2) हीरा तिर्की, वो (3) मोहन तिर्की, को छोड़ गए जो इस वाद में तीनों आवेदक है। धाना तिर्की अपने पीछे (1) गोप तिर्की, वो

19/8/24

(2) ननकु तिर्की, वो (3) प्राण तिर्की, वो (4) मुन्ना तिर्की वो (5) गोविन्द तिर्की को छोड़ गए हैं जो इस वाद में आवेदक है। ननकु तिर्की अपने दो पुत्र कोडे तिर्की, वो गोकुल तिर्की को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। कोडे तिर्की अपने (1) फ्रांसिस तिर्की वो (2) रंधीर तिर्की वो (3) राकेश तिर्की, को छोड़ गए जो आवेदक है। गोकुल तिर्की अपने पीछे (1) विकास तिर्की, वो (2) बिरेन्द्र तिर्की को छोड़ गए, जो आवेदक हैं। आवेदकगण खतियानी रैयत की वंशज होने के नाते आवेदकगण की हिस्से वो अधिकार की भूमि है। इस वाद में शुरूआत से ही आवेदकगण लम्बे समय से अनुपस्थित हैं, तदोपरान्त आवेदकगण के उपस्थिति हेतु समाचार पत्र के माध्यम से नोटिस प्रकाशित किया गया। इसके बाद भी आवेदकगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, आवेदकगण की ओर से खतियान की प्रति दाखिल की गई, तथा अंचल रसीद भी दाखिल किया गया।

विपक्षीगण की ओर से कारण पृच्छा में कहते हैं कि वर्णित भूमि 1942 में निबंधित पट्टा से खरीदगी जमीन है, जिसका पट्टा संख्या–8421 वर्ष 03.04.1942 जो अवर निबंधित है। उसके बाद से लगातार दखल कब्जा के साथ रह रहे हैं। तथा अपने नाम पर दाखिल खारिज करवाकर मालगुजारी देते आ रहे हैं। जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या–5351R27/2012–13 आवेदकगण की ओर से निबंधित पट्टा मालगुजारी रसीद शुद्धि पत्र दाखिल किये हैं। विपक्षीगण की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किया गया, गवाह संख्या–01 संतोष टोप्पो, ने कहा है कि उपरोक्त भूमि हमारे वंशजों के द्वारा निबंधित पट्टा से खरीदा गया है। तथा इस पर दखल कब्जा के साथ रह रहे हैं। गवाह संख्या–02 कहते हैं कि वर्णित भूमि विपक्षीगण के पूवजों द्वारा खरीदे गए हैं तथा दाखिल खारिज करवाकर मकान बनाकर दखल कब्जा में हैं।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर बहस किया गया तथा साथ ही लिखित बहस में कहते हैं कि यह जमीन आदिवासी खाते की है और खरीददार भी आदिवासी हैं 1942 ई० में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 की जरूरत नहीं थी।

M:- 19/6/2019

कृ०पृ०उल्टे

चूँकि यह जमीन 1942 में लिया गया है। वर्णित भूमि में अनुमति लेना आवश्यक नहीं था, अतः इस वाद में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अतः दोनों पक्षों के कागजात देखने एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनने से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस वाद में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" का उल्लंघन नहीं हुआ है। यह वाद चलने योग्य नहीं है। अतः बिना किसी आदेश पारित किए आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

19/6/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

19/6/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.02.08 15:12:38 +05:30
Location: 192.168.166.39